ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR, NEW DELHI – 110029
HOSPITAL STORES

NOTICE OF TERMINATION AND DEBARMENT

F. NO. 24/H/ICU-Beds/SSK-II/23-24 Dated: 24.05.2025

To,
M/s OMEGA SURGICAL INDUSTRIES
Ground Floor Plot, Kh No.13/8, Nangli Sakrawati,
Najafgarh, New Delhi, 110043.
Email Id: omegasurgicalindustries@gmail.com

Subject: GeM Contract No. GEMC-511687764026554 dated 22.10.2024 for supply of ICU Beds- 192 Nos. to Main Hospital, AIIMS, New Delhi- Termination of contract and debarment for two years – thereof.

Ref.:-
1. GeM Contract No. GEMC-511687764026554 dated 22.10.2024.
2. AIIMS's Letter dt. 27.01.2025
3. Reply of M/s OMEGA SURGICAL INDUSTRIES dated 27.01.2025.
4. Show Cause Notice served by AIIMS dated 08.02.2025.
5. Reply of M/s OMEGA SURGICAL INDUSTRIES dated 10.02.2025.
6. AIIMS's Letter dt. 19.02.2025
7. Personal hearing dated 27.02.2025

******

Sir,

WHEREAS, AIIMS, New Delhi entered into a procurement contract with **M/s Omega Surgical Industries** under **GeM Contract No. GEMC-511687764026554 dated 22.10.2024**, for the **supply of 192 ICU Beds**, critical to the operationalization of newly commissioned hospital wards and enhancement of patient care services across various clinical departments;

AND WHEREAS, the contract specified a delivery deadline of **20.01.2025** and the terms explicitly required timely execution as per standard procurement guidelines;

AND WHEREAS, despite being provided a reasonable delivery period of 90 days, M/s Omega Surgical Industries **failed to supply any ICU beds within the contractual period**, nor did it communicate any specific or credible reason for the delay during the contract term thereby breaching the core terms of the contract;

AND WHEREAS, during the execution period of the aforementioned contract, **the vendor failed to adhere to the contractual delivery schedule and demonstrated repeated non-compliance with the terms and conditions of the agreement**, despite written communications, reminders, and opportunity to remedy the default;

AND WHEREAS, repeated written official communications/reminders including emails dated 13.11.2024, 10.12.2024, 19.12.2024, 27.12.2024, and 28.01.2025, as well as telephonic and WhatsApp correspondences, were made by the AIIMS Stores Division to elicit compliance, but **the vendor consistently failed to demonstrate any proactive or adequate response**;

AND WHEREAS, the vendor also **failed to submit the requisite Performance Bank Guarantee (PBG) within 15 days of contract issuance**, as mandated under the contractual terms, thus constituting non-compliance with a fundamental obligation;

AND WHEREAS, a letter dated **27.01.2025** was issued to the vendor **granting a final opportunity to supply the items** within seven days, along with a warning of administrative action and risk purchase. The vendor's response, seeking a 45-day extension due to an alleged shortage of spare parts, was neither substantiated nor communicated during the contract period, and was found unsatisfactory;

AND WHEREAS, a **Show Cause Notice (SCN) dated 08.02.2025** was issued, to which the vendor's reply dated 10.02.2025 **failed to justify the inordinate delay or provide credible reasons for non-performance**;

AND WHEREAS, in accordance with principles of natural justice, **a personal hearing was convened on 27.02.2025** by a duly constituted Committee comprising officials of AIIMS, during which the **vendor was provided an opportunity to present its explanation and supporting evidence**;

AND WHEREAS, during the hearing, the **vendor admitted to diverting the initially manufactured beds to other clients** and **confirmed that no deliveries were made nor any formal communication provided to AIIMS during the contractual period**;

AND WHEREAS, the vendor had originally declared 100% local content in its bid under the Make in India (MII) policy but subsequently admitted during the hearing that critical components were imported from Taiwan, **contradicting its Make in India declaration submitted under bid terms, which amounts to misrepresentation and violation of bid conditions**;

AND WHEREAS, the Committee observed that the vendor:

- Had ample time, information, and reminders to complete the supply;
- Displayed persistent inaction, lack of professionalism, and failure to submit the bid security;
- Could not provide any documentation substantiating the alleged production or supply chain delays;
- Chose to prioritize other clients over AIIMS despite the critical nature of the supplies;
- Made no sincere effort to notify or engage with AIIMS on the difficulties claimed after the fact;

AND WHEREAS, the vendor's **conduct has led to delays in the commissioning of critical hospital infrastructure**, adversely affecting patient care and undermining the integrity of the public procurement process;

AND WHEREAS, the **Personal Hearing Committee** constituted for this matter found the vendor to be:

- **Grossly negligent** in fulfilling contractual obligations, despite having ample delivery time and repeated reminders.
- **In breach of the Make in India (MII) policy**, having declared 100% local content while later admitting that key electrical components were **imported from Taiwan**, thereby amounting to **wilful misrepresentation** and **false declaration**.
- **Unresponsive and evasive**, having failed to submit a Performance Bank Guarantee (PBG), which is a **mandatory contractual requirement**.
- **Unethical**, by choosing to prioritize supply to other institutions, even as AIIMS had repeatedly communicated the urgency of the order.
- **Unable to demonstrate any proactive effort** to resolve alleged supply chain issues, nor any attempt to notify AIIMS of material constraints during the contract period.

भण्डार अधिकारी (अस्पताल भण्डार)

AND WHEREAS, the clause nos. 5(c) and 6(b) of OM No.F.1/20/2018-PPD dated 02.11.2021 states:

> *5 (c) "A bidder can also be debarred for any actions or omissions by the bidder other than violation of code of integrity, which in the opinion of the Ministry/Department, warrants debarment for the reasons like supply of sub-standard material, **non-supply of material**, abandonment of works, sub-standard quality of works, **failure to abide "Bid security Declaration**" etc."*
>
> *6 (b) regarding Code of Integrity as contained in Rule 175 of GFR as per which, any omission **or misrepresentation that may mislead or attempt to mislead so that financial or other benefit may be obtained** or an obligation avoided.*

AND WHEREAS, the Personal Hearing Committee, after due diligence and detailed examination, concluded that the these **actions of M/s Omega Surgical Instruments amount to breach of contract, deliberate misrepresentation, and willful default,** in violation of clause nos. 5(c) and 6(b) of OM No.F.1/20/2018-PPD dated 02.11.2021 issued by the Ministry of Finance, which provides for debarment in instances of non-supply and misrepresentation of facts;

NOW THEREFORE, in light of the above and in exercise of powers vested under the applicable rules and guidelines, the competent authority at AIIMS hereby decided the following actions against **M/s Omega Surgical Industries**:

1. **Termination** of GeM Contract No. **GEMC-511687764026554 dated 22.10.2024,** with immediate effect, on grounds of non-performance and breach of contractual obligations;
2. **Debarment of M/s Omega Surgical Industries** from participating in any tenders or procurement processes of AIIMS, New Delhi, for a period of two (2) years, effective from the date of this order, in accordance with Ministry of Finance guidelines.
3. **Filing of an incident report on the GeM Portal** to officially document the vendor's failure and breach under the terms of the contract.

This is issued with the Approval of the Competent Authority

STORES OFFICER (H)

भण्डार अधिकारी (अस्पताल भण्डार)
Store Officer (Hospital Stores)
अ.भा.आ.सं., अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
AIIMS, Ansari Nagar, New Delhi-29

Distribution:

1. Chiefs of All Centers
2. Medical Supdt., AIIMS
3. FIC/OIC Procurement
4. Sr. Stores Officer (H)/ Sr. Stores Officer (DO)
5. All Stores Officer/Asst. Stores Officers
6. AO(Vigilance)
7. Computer Facility - with the request to upload/publish on Institute website.

CC: PPS/PS to Director / Addl. Director (Admn.)/ SFA, AIIMS New Delhi

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

अस्पताल भंडार

सेवा समाप्ति एवं प्रतिबंध की सूचना

फा.सं.24/एच/आईसीयू-बेड/एसएसके-II/23-24 दिनांक: 24.05.2025

सेवा में,

मेसर्स ओमेगा सर्जिकल इंडस्ट्रीज
भूतल प्लॉट, खसरा नं.13/8, नंगली सकरावती, नजफगढ़, नई दिल्ली, 110043
ईमेल आईडी: omegasurgicalindustries@gmail.com

विषय: मुख्य अस्पताल, एम्स, नई दिल्ली को 192 आईसीयू बेड की आपूर्ति के लिए दिनांक 22.10.2024 के जीईएम अनुबंध संख्या जीईएमसी-511687764026554 - अनुबंध की समाप्ति एवं दो वर्ष के लिए प्रतिबंध संबंधी।

संदर्भ:-
1. दिनांक 22.10.2024 के जीईएम अनुबंध संख्या जीईएमसी-511687764026554
2. एम्स का पत्र दिनांक 27.01.2025
3. दिनांक 27.01.2025 को मेसर्स ओमेगा सर्जिकल इंडस्ट्रीज का जवाब
4. एम्स द्वारा दिनांक 08.02.2025 को जारी कारण बताओ नोटिस
5. दिनांक 10.02.2025 को मेसर्स ओमेगा सर्जिकल इंडस्ट्रीज का जवाब
6. दिनांक 19.02.2025 का एम्स का पत्र
7. दिनांक 27.02.2025 को व्यक्तिगत सुनवाई

महोदय,

चूंकि, एम्स, नई दिल्ली ने 192 आईसीयू बेड की आपूर्ति के लिए दिनांक 22.10.2024 को जीईएम अनुबंध संख्या जीईएमसी-511687764026554 के तहत मेसर्स ओमेगा सर्जिकल इंडस्ट्रीज के साथ एक खरीद अनुबंध किया, जो नए चालू किए गए अस्पताल वार्डों के संचालन और विभिन्न नैदानिक विभागों में रोगी देखभाल सेवाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है;

और जबकि, अनुबंध में दिनांक 20.01.2025 की डिलीवरी की समय सीमा निर्दिष्ट की गई थी और शर्तों में खरीद संबंधी मानक दिशानिर्देशों के अनुसार समय पर निष्पादन की स्पष्ट रूप से आवश्यकता थी;

और जबकि, 90 दिनों की उचित डिलीवरी अवधि प्रदान किए जाने के बावजूद, मेसर्स ओमेगा सर्जिकल इंडस्ट्रीज अनुबंध अवधि के भीतर किसी भी आईसीयू बेड की आपूर्ति करने में विफल रही, न ही इसने अनुबंध अवधि के दौरान देरी के लिए कोई विशिष्ट या विश्वसनीय कारण बताया, जिससे अनुबंध की मूल शर्तों का उल्लंघन हुआ;

भण्डार अधिकारी (अस्पताल भण्डार)

और जबकि, उपर्युक्त अनुबंध की निष्पादन अवधि के दौरान, विक्रेता अनुबंध में निहित वितरण अनुसूची का पालन करने में विफल रहा और लिखित सूचना, अनुस्मारक और चूक को ठीक करने के अवसर के बावजूद, समझौते के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया;

और जबकि, एम्स स्टोर्स डिवीजन द्वारा अनुपालन प्राप्त करने के लिए दिनांक 13.11.2024, 10.12.2024, 19.12.2024, 27.12.2024 और 28.01.2025 को ईमेल सहित बार-बार लिखित रूप से आधिकारिक सूचना/अनुस्मारक, साथ ही टेलीफोन और व्हाट्सएप द्वारा पत्राचार किए गए थे, लेकिन विक्रेता लगातार कोई सक्रिय या पर्याप्त प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने में विफल रहा;

और चूंकि, विक्रेता अनुबंध जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपेक्षित निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करने में भी विफल रहा, जैसा कि अनुबंध की शर्तों के तहत अनिवार्य है, इस प्रकार यह एक मौलिक दायित्व का अनुपालन न करने का मामला बनता है;

और जबकि, दिनांक 27.01.2025 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें विक्रेता को सात दिनों के भीतर सामान की आपूर्ति करने का अंतिम अवसर दिया गया था, साथ ही प्रशासनिक कार्रवाई और खरीद संबंधी जोखिम की चेतावनी भी दी गई थी। स्पेयर पार्ट्स की कथित कमी के कारण 45-दिन के अतिरिक्त समय की मांग करने वाले विक्रेता के जवाब की न तो पुष्टि की गई और न ही अनुबंध अवधि के दौरान इसकी सूचना दी गई, तथा यह असंतोषजनक पाया गया;

और जबकि, दिनांक 08.02.2025 को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था, जिसके लिए विक्रेता का दिनांक 10.02.2025 का जवाब अत्यधिक देरी को उचित ठहराने या स्पष्टीकरण के लिए विश्वसनीय कारण प्रदान करने में विफल रहा;

और चूंकि, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, एम्स के अधिकारियों की एक विधिवत गठित समिति द्वारा दिनांक 27.02.2025 को एक व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसके दौरान विक्रेता को अपना स्पष्टीकरण और सहायक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था;

और जबकि, सुनवाई के दौरान, विक्रेता ने शुरू में निर्मित बेड को अन्य ग्राहकों को बेचने की बात स्वीकार की और पुष्टि की कि अनुबंध अवधि के दौरान न तो कोई डिलीवरी की गई और न ही एम्स को कोई औपचारिक सूचना दी गई;

और जबकि, विक्रेता ने मूल रूप से मेक इन इंडिया (एमआईआई) नीति के तहत अपनी बोली में 100% स्थानीय सामग्री की घोषणा की थी, लेकिन बाद में सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि महत्वपूर्ण पार्ट्स को ताइवान से आयात किया गया था, जो बोली की शर्तों के तहत प्रस्तुत मेक इन इंडिया घोषणा का खंडन करता है, जो गलत बयानी और बोली संबंधी शर्तों का उल्लंघन है;

और चूंकि, समिति ने पाया कि विक्रेता:

- के पास आपूर्ति पूरी करने के लिए पर्याप्त समय, जानकारी एवं अनुस्मारक थे;
- ने लगातार निष्क्रियता, व्यावसायिकता की कमी, और बोली सुरक्षा राशि जमा करने में विफलता प्रदर्शित की;

भण्डार अधिकारी (अस्पताल भण्डार)

- द्वारा कथित उत्पादन या आपूर्ति श्रृंखला में देरी को प्रमाणित करने वाले कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए;
- ने आपूर्ति की अत्यावश्यक प्रकृति के बावजूद एम्स की बजाय अन्य ग्राहकों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया;
- ने तथ्य के बाद बताई गई कठिनाइयों के बारे में एम्स को सूचित करने या उससे संपर्क करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया;

और चूंकि, विक्रेता के आचरण के कारण अस्पताल के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के चालू होने में देरी हुई है, जिससे रोगी देखभाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया की अखंडता को नुकसान पहुंचा है;

और जबकि, इस मामले के लिए गठित व्यक्तिगत सुनवाई समिति ने विक्रेता को निम्नांकित तौर पर गैर जिम्मेदार पाया:-

- पर्याप्त डिलीवरी समय और बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद, संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में अत्यधिक लापरवाही।
- मेक इन इंडिया (एम.आई.आई.) नीति का उल्लंघन करते हुए, 100% स्थानीय सामग्री की घोषणा की गई, जबकि बाद में स्वीकार किया गया कि प्रमुख इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ताइवान से आयात किए गए थे, जो कि जानबूझकर गलत बयानी और झूठी घोषणा के समान है।
- अनुत्तरदायी और टालमटोल करने वाला, निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करने में विफल रहा, जो एक अनिवार्य संविदात्मक आवश्यकता है।
- अन्य संस्थानों को आपूर्ति को प्राथमिकता देना अनैतिक है, जबकि एम्स ने बार-बार की अत्यावश्यकता के बारे में बताया था।
- कथित आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए कोई सक्रिय प्रयास प्रदर्शित करने में असमर्थ, न ही अनुबंध अवधि के दौरान भौतिक बाधाओं के बारे में एम्स को सूचित करने का कोई प्रयास।

और जबकि, दिनांक 02.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.1/20/2018-पीपीडी के खंड संख्या 5(सी) और 6(बी) में कहा गया है:

5(ग) "बोलीदाता को सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा बोलीदाता द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या चूक के लिए भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो मंत्रालय/विभाग की राय में घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करने, कार्यों को छोड़ देने, कार्यों की घटिया गुणवत्ता, "बोली सुरक्षा घोषणा" का पालन न करने आदि जैसे कारणों से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।"

6 (बी) जीएफआर के नियम 175 में निहित सत्यनिष्ठा संहिता के संबंध में, जिसके अनुसार, कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके या किसी दायित्व से बचा जा सके।

और जबकि, व्यक्तिगत सुनवाई समिति ने उचित परिश्रम और विस्तृत जांच के बाद निष्कर्ष निकाला है कि मेसर्स ओमेगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ये कार्रवाइयां अनुबंध का उल्लंघन,

भण्डार अधिकारी

जानबूझकर गलत बयानी और जानबूझकर चूक के बराबर हैं, जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 02.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.1/20/2018-पीपीडी के खंड संख्या 5(सी) और 6(बी) का उल्लंघन है, जो आपूर्ति न करने और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के मामलों में निषेध का प्रावधान करता है;

अत: उपरोक्त के मद्देनजर और लागू नियमों और दिशानिर्देशों के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग में, एम्स के सक्षम प्राधिकारी ने मेसर्स ओमेगा सर्जिकल इंडस्ट्रीज के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है:

1. गैर-निष्पादन और संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन के आधार पर, तत्काल प्रभाव से, दिनांक 22.10.2024 के जीईएम अनुबंध संख्या जीईएमसी-511687764026554 की समाप्ति;
2. वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस आदेश की तिथि से दो (2) वर्ष की अवधि के लिए एम्स, नई दिल्ली की किसी भी निविदा या खरीद प्रक्रिया में भाग लेने से मेसर्स ओमेगा सर्जिकल इंडस्ट्रीज पर प्रतिबंध लगाया गया है।
3. अनुबंध की शर्तों के तहत विक्रेता की विफलता और उल्लंघन को आधिकारिक रूप से दस्तावेज के तौर पर जीईएम पोर्टल पर घटना की रिपोर्ट दर्ज करना।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी जाता है

24/8/25

भंडार अधिकारी (अ.)

भण्डार अधिकारी (अस्पताल भण्डार)
Store Officer (Hospital Stores)
अ.भा.आ.सं., अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
A.I.I.M.S., Ansari Nagar, New Delhi-29

वितरण:

1. सभी केंद्र-प्रमुखगण
2. चिकित्सा अधीक्षक, एम्स
3. प्रभारी-आचार्य/प्रभारी-अधिकारी प्रापण
4. वरिष्ठ भंडार अधिकारी(अ.)/ वरिष्ठ भंडार अधिकारी (नि.का.)
5. सभी भंडार अधिकारी/सहायक भंडार अधिकारी
6. प्रशासनिक अधिकारी (सतर्कता)
7. कंप्यूटर सुविधा- इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड/प्रकाशित करने के अनुरोध सहित।

प्रतिलिपि: निदेशक महोदय/अपर निदेशक महोदय (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार, एम्स नई दिल्ली के प्रधान निजी सचिव/ निजी सचिव